

मतदान करने के तरीके




डाक-द्वारा-मतदान करें

31 मई तक डाक-द्वारा-मतदान करें मतपत्र के लिए अनुरोध करें।

डाक द्वारा वापस करें—**7 जून** को या इससे पहले डाक की मुहर ज़रूर लग जानी चाहिए और आपके काउंटी चुनाव कार्यालय को **10 जून** तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

7 जून को रात 8:00 बजे से पहले अपने काउंटी चुनाव कार्यालय को अपनी काउंटी में किसी भी मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से आकर वापस करें।




व्यक्तिगत रूप से समय से पहले मतदान करें

कुछ काउंटियाँ चुनाव के दिन से पहले कुछ स्थानों पर समय से पहले मतदान करने की पेशकश करती हैं।

यह जानने के लिए अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें कि क्या वे समय से पहले मतदान की पेशकश करते हैं।

काउंटी की संपर्क जानकारी पृष्ठ 29 पर इस पर सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जाकर मिल सकती है:

<http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices>



चुनाव वाले दिन को मतदान केन्द्र पर मतदान करें

चुनाव वाले दिन पर मतदान निम्न के अनुसार खुला रहेगा: **7 जून को सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक**।

आपके मतदान स्थल का स्थान उस नमूना मतपत्र पुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर छपा है जो आपकी काउंटी के चुनाव अधिकारी ने आपको डाक से भेजा है।

आप अपने मतदान स्थान का निम्न प्रकार से भी पता लगा सकते हैं:

- ☎ (888) 345-2692 पर फोन करके
- 💻 ऑनलाइन www.sos.ca.gov/elections/polling-place पर
- 📱 GOVOTE (468683) पर Vote का टेक्स्ट संदेश भेजकर

कैलिफोर्निया में चुनाव

कैलिफोर्निया में दो भिन्न प्रकार के प्राथमिक चुनाव हैं। प्राथमिक चुनाव के परिणाम उन उम्मीदवारों को निर्धारित करते हैं जो नवंबर के आम चुनाव में भाग लेंगे। प्राथमिक चुनावों के प्रकार निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रपति (दल-नामाकित पद/दल-संबंधी पद)

- मतपत्र पर पद: अमेरिका के राष्ट्रपति
- कौन मतदान कर सकता है? केवल वे मतदाता जिन्होंने उम्मीदवार वाले राजनीतिक दल के पास ही पंजीकरण कराया हो (कुछ दल उन मतदाताओं को मतदान की अनुमति देते हैं जिन्होंने उनके प्राथमिक चुनाव में मतदान करने के लिए किसी दल की पसंद के बिना पंजीकरण कराया हो। अतिरिक्त सूचना के लिए <http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference> पर जाएं)।
- परिणाम: आम चुनाव में जाने वाला उम्मीदवार वह उम्मीदवार होता है जिसे उसके राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा नामित किया जाता है और यह वह उम्मीदवार नहीं हो सकता है जिसे कैलिफोर्निया प्राथमिक चुनाव में लोकप्रिय मत द्वारा चुना गया था।

कैलिफोर्निया ओपन प्राइमरी (मतदाता द्वारा नामित पद)

- मतपत्र पर पद: अमरीकी सेनेट, अमरीकी प्रतिनिधि सदन, राज्य-व्यापी पद और राज्य के विधायी पद
- कौन मतदान कर सकता है? कोई भी मतदाता प्रत्येक मुकाबले में किसी एक उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकता है, भले ही उसकी दल की पसंद कुछ भी हो।
- परिणाम: प्रत्येक प्राथमिक मुकाबले में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले शीर्ष दो उम्मीदवार, भले ही उनकी दल की पसंद कुछ भी हो, आम चुनाव पर चले जाते हैं। शीर्ष दो प्राथमिक के बाद, आम चुनाव अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए, भले ही एक उम्मीदवार को अधिकांश मत (कम से कम 50 प्रतिशत +1) मिले हों और भले ही प्राथमिक चुनाव में केवल एक उम्मीदवार हों।
- कैलिफोर्निया का ओपन प्राइमरी सिस्टम अमेरिकी राष्ट्रपति, काउंटी की केंद्रीय समिति या स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता है।

कैलिफोर्निया का कानून मांग करता है कि इस गाइड में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाए।

दल-नामाकित पद/दल-संबंधी पद

राजनीतिक पार्टियां प्राथमिक चुनाव में दल-नामाकित पदों/दल-संबंधी पदों के लिए पहले से ही उम्मीदवारों को नामाकित कर सकती हैं। कोई नामाकित उम्मीदवार आम चुनाव में किसी खास पद के लिए उस दल का उसके आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा और मतपत्र में आधिकारिक निर्देश दर्शाया जाएगा। प्राथमिक चुनाव में प्रत्येक दल के सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार आम चुनाव में चले जाते हैं। पार्टियां प्राथमिक चुनाव में भी काउंटी की केंद्रीय समिति के अधिकारी चुनती हैं।

कोई मतदाता केवल तभी किसी राजनीतिक दल के प्राथमिक चुनाव में मत दे सकता है यदि उसने मत के लिए पंजीकृत होते समय कोई पसंद प्रकट की है। हालांकि, किसी राजनीतिक दल द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस दल के प्राथमिक चुनाव में मत देने की अनुमति दी जा सकती है जिसने दल की पसंद प्रकट करने से मना कर दिया है।

मतदाता द्वारा नामांकित पद

प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित पदों के लिए उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नामांकित करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को नहीं है। प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित पद के लिए नामांकित होने वाला उम्मीदवार, लोगों द्वारा नामांकित होता है और आम चुनाव में किसी दल के आधिकारिक उम्मीदवार के समान नहीं होता है। मतदाता-नामांकित पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास उसकी दल की पसंद होगी, या दल की पसंद नहीं होगी जो मतपत्र पर उल्लेखित की जाएगी, लेकिन दल की पसंद निर्देश एकमात्र रूप से केवल उम्मीदवार द्वारा चुना जाएगा और केवल मतदाताओं की सूचना के लिए दर्शाया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि उम्मीदवार नामित दल द्वारा नामांकित किया गया है या उसके द्वारा समर्थित है, या दल और उम्मीदवार के बीच कोई संबंध है, और मतदाताओं द्वारा नामांकित कोई उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल का आधिकारिक रूप से नामांकित उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका में, मतदाता-नामांकित पदों के लिए पार्टियाँ उन उम्मीदवारों की सूची दे सकती हैं जिन्हें दल का आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

मतदाता-नामांकित पद के लिए कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है यदि वह उस पद के लिए वोट देने हेतु अन्य योग्यताओं को पूरा करता है। प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवार मतदाता-नामांकित पद के लिए आम चुनाव में चले जाते हैं चाहे दोनों उम्मीदवारों ने एक ही दल की पसंद का निर्देश दर्शाया हो। किसी भी दल को अपने दल की पसंद निर्देश वाले उम्मीदवार को आम चुनाव में भेजने का अधिकार नहीं है जब तक कि उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में इसके दो सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों में से एक नहीं होता है।

निर्दलीय पद

राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिक चुनाव में निर्दलीय पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने का अधिकार नहीं है और प्राथमिक चुनाव का कोई उम्मीदवार, आम चुनाव में किसी खास पद के लिए किसी भी दल का आधिकारिक नामांकित व्यक्ति नहीं होता है। किसी निर्दलीय पद के लिए नामांकन के लिए कोई उम्मीदवार मतपत्र पर अपनी दल की पसंद, या दल की पसंद का ना होना निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवार निर्दलीय पद के लिए होने वाले आम चुनाव में चले जाते हैं।

राज्य-व्यापी उम्मीदवारों और मतदान विधेयकों के संबंध में शीर्ष योगदानकर्ता

जब कोई समिति (उम्मीदवारों या मतदान विधेयकों का समर्थन या विरोध करने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसा प्राप्त या खर्च करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह) किसी मतदान विधेयक या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करती है और कम से कम \$1 मिलियन उगाहती है, तो समिति को अपने 10 शीर्ष योगदानकर्ताओं के बारे में कैलिफोर्निया निष्पक्ष राजनीतिक पद्धतियाँ आयोग (California Fair Political Practices Commission - FPPC) को अवश्य सूचित करना चाहिए। जब कोई परिवर्तन हो जाए, तब समिति को शीर्ष 10 की सूची को नवीनतम रूप अवश्य देना चाहिए।

ये सूचियाँ FPPC की वेबसाइट <http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html> पर उपलब्ध हैं।



असमर्थता वाले मतदाताओं के लिए सहायता

राज्य और संघीय कानून यह अपेक्षा करते हैं कि मतदान स्थल असमर्थता वाले मतदाताओं के लिए शारीरिक रूप से पहुँच-योग्य होने चाहिए। काउंटी चुनाव अधिकारी प्रत्येक स्थल का निरीक्षण करते हैं और अक्सर चुनाव दिवस के लिए अस्थायी सुधार करते हैं। किसी मतदान स्थल पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव संबंधी कानूनों और मतदाता अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं में उपयुक्त सुधार करने की आवश्यकता शामिल है।

राज्य व संघीय कानून यह अपेक्षा करते हैं कि सभी मतदाता अपने मतपत्र निजी व स्वतंत्र रूप से डाल सकें। प्रत्येक मतदान स्थल पर अनिवार्य रूप से कम से कम एक वोटिंग मशीन होनी चाहिए जो नेत्रहीन या कमजोर दृष्टि वाले लोगों सहित, सभी मतदाताओं को सहायता के बिना मतपत्र देने का मौका देती हो। वोटिंग मशीन से मतदाता अपने मतदान करने के विकल्पों की जांच कर सकते हैं और, यदि इसमें कोई गलती है तो मतदाता अपना मतपत्र जमा करने से पहले इन विकल्पों को ठीक कर सकते हैं।

अपना नमूना मतपत्र देखें

आपकी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका:



- यह वर्णन करेगी कि असमर्थता वाले व्यक्ति कैसे गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं
- यदि आपका मतदान स्थल असमर्थता वाले व्यक्तियों के लिए पहुँच-योग्य है तो व्हीलचेयर का चिह्न दिखाएगी

मतदान स्थल पर

यदि आपको अपने मतपत्र पर निशान लगाने में मदद चाहिए हो, तो आप अपनी मदद के लिए दो तक व्यक्तियों को चुन सकते हैं। यह व्यक्ति निम्नलिखित नहीं हो सकता:

- आपका नियोक्ता या आपके नियोक्ता के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति
- आपकी लेबर यूनियन का नेता या आपकी लेबर यूनियन के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति

सड़क के किनारे मतदान से आप मतदान स्थल के जितना संभव हो सके करीब पार्क कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी आपके द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए एक रोस्टर, एक मतपत्र, और कोई भी अन्य मतदान सामग्री, जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है, आपके पास लेकर आएंगे, भले ही आप वास्तव में सड़क के किनारे हैं या किसी कार में हैं।

यह देखने के लिए अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें कि क्या आपके मतदान स्थल पर सड़क के किनारे मतदान उपलब्ध है।

राज्य मतदाता सूचना गाइड बनाम काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका

एक पंजीकृत मतदाता के रूप में आपको डाक द्वारा दो जानकारी संसाधन प्राप्त होंगे:

राज्य मतदाता सूचना गाइड (यह गाइड)

इसमें संघीय उम्मीदवारों और राज्यव्यापी प्रस्तावों के बारे में जानकारी शामिल होती है।

उम्मीदवार की जानकारी:

राष्ट्रपति (ऑनलाइन
www.voterguide.sos.ca.gov पर)
अमेरिकी सेनेट

राज्य प्रस्ताव:
प्रस्ताव 50

आपकी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका

इसमें आपके मतपत्र का एक नमूना और स्थानीय उम्मीदवारों, मतदान विधेयकों, और आपके मतदान स्थल के स्थानों के बारे में जानकारी शामिल होती है।

उम्मीदवार की जानकारी:

★ कांग्रेस में अमेरिकी प्रतिनिधि
राज्य सेनेटर
राज्य असेंबली के सदस्य
अन्य स्थानीय कार्यालय

स्थानीय मतदान विधेयक:

प्रत्येक काउंटी में अलग-अलग

अनंतिम मतदान

यदि आपका नाम आपके मतदान स्थल पर मतदाता सूची में नहीं है, तो आपको अनंतिम मतपत्र पर मत देने का अधिकार है।

अनंतिम मतपत्र क्या होता है?

अनंतिम मतपत्र एक ऐसा सामान्य मतपत्र होता है जो मतपेटी में डाले जाने से पहले एक खास लिफाफे में रखा होता है।

अनंतिम मतपत्र कौन डालता है?

अनंतिम मतपत्र ऐसे मतपत्र होते हैं जिन पर उन मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है जो:

- जो यह मानते हैं कि वे मत देने के लिए पंजीकृत हैं चाहे उनके नाम मतदान स्थल की आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में न हों।
- डाक द्वारा मत देते हैं लेकिन उन्हें अपना मतपत्र नहीं मिलता है या उनके पास अपना मतपत्र नहीं होता है, तथा इसके बावजूद मतदान स्थल पर मतदान करना चाहते हैं।

आपके द्वारा अनंतिम मतपत्र डालने के बाद क्या होता है?

आपके अनंतिम मतपत्र की गणना तब की जाएगी जब चुनाव अधिकारियों ने यह पुष्टि कर दी हो कि आप उस काउंटी में मत देने के लिए पंजीकृत हैं तथा आपने उस चुनाव में पहले ही मतदान नहीं किया है।

आप काउंटी में भी ऐसे किसी भी मतदान स्थल पर अनंतिम मतदान कर सकते हैं जहाँ आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं, फिर भी, केवल उन्हीं चुनावी मुकामलों की गणना की जाएगी जिनके लिए आप मतदान करने के पात्र हैं।

आप अपने अनंतिम मतपत्र की स्थिति की जाँच कैसे कर सकते हैं?

अनंतिम मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता को अधिकार है कि वह अपने काउंटी के चुनाव अधिकारियों से जानकारी हासिल करे कि उसके मतपत्र की गणना की गई या नहीं, यदि नहीं की गई, तो इसकी गणना न करने का क्या कारण था।



काउंटी के संपर्कों की सूची तथा आपके अनंतिम मतपत्र की स्थिति की जाँच करने के तरीके संबंधी सूचना के लिए <http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status> पर जाएं।

चुनाव के दिन की सूचना

मतदान मंगलवार, 7 जून को सुबह 7:00 बजे रात 8:00 बजे खुले रहेंगे। यदि आप रात 8:00 बजे से पहले कतार में खड़े हैं, तो आप फिर भी मतदान कर सकते हैं।

अपने मतदान स्थल का पता लगाने के 4 तरीके:

- 📄 अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी द्वारा आपको डाक द्वारा भेजी गई नमूना मतपत्र पुस्तिका की पिछली जिल्द देखें
- ☎ (888) 345-2692 पर कॉल करके
- 🌐 ऑनलाइन www.sos.ca.gov/elections/polling-place पर
- 📱 GOVOTE (468683) पर Vote का टेक्स्ट संदेश भेजें

काउंटी चुनाव कार्यालय

Alameda County

(510) 272-6973
www.acgov.org/rov

Alpine County

(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Amador County

(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us/government/elections

Butte County

(530) 538-7761 या
(800) 894-7761 (बट्टे काउंटी के भीतर)
<http://buttevotes.net>

Calaveras County

(209) 754-6376 या (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us/elections.aspx

Colusa County

(530) 458-0500 या (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa County

(925) 335-7800
www.cocovote.us

Del Norte County

(707) 464-7216 या (707) 465-0383
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado County

(530) 621-7480 या (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections

Fresno County

(559) 600-8683
www.co.fresno.ca.us/elections

Glenn County

(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections

Humboldt County

(707) 445-7481
humboldt.gov.org/elections

Imperial County

(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

Inyo County

(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

Kern County

(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections

Kings County

(559) 852-4890
www.countyofkings.com

Lake County

(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/government/directory/rov.htm

Lassen County

(530) 251-8217 या (530) 251-8352
<http://www.lassencounty.org>

Los Angeles County

(800) 815-2666 विकल्प 2 या
(562) 466-1323
www.lavote.net

Madera County

(559) 675-7720
www.madera-county.com

Marin County

(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa County

(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Mendocino County

(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr/elections

Merced County

(209) 385-7541 या (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc County

(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us

Mono County

(760) 932-5537 या (760) 932-5530
www.monocounty.ca.gov/elections

Monterey County

(831) 796-1499 या (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Napa County

(707) 253-4321 या (707) 253-4374
www.countyofnapa.org

Nevada County

(530) 265-7115
www.mynevadacounty.com/hc/elections/Pages/Home.aspx

Orange County

(714) 567-7600
www.ocvote.com

Placer County

(530) 886-5650
www.placerelections.com

Plumas County

(530) 283-6256 या (844) 676-8683
www.countyofplumas.com

Riverside County

(951) 486-7200 या (800) 773-8683
www.voteinfo.net

Sacramento County

(916) 875-6451 या (800) 762-8019
www.elections.saccounty.net

San Benito County

(831) 636-4016 या (831) 636-4017
www.sbcvvote.us

San Bernardino County

(909) 387-8300 या (800) 881-8683
www.sbcountyelections.com

San Diego County

(858) 565-5800
www.sdvote.com

San Francisco County

(415) 554-4375
www.sfelections.org

San Joaquin County

(209) 468-2890
www.sjcrov.org

San Luis Obispo County

(805) 781-5228 या (805) 781-5080
www.slovote.com

San Mateo County

(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

Santa Barbara County

(805) 568-2200 या (800) 722-8683
www.sbcvvote.com

Santa Clara County

(408) 299-8683 या (866) 430-8683
www.sccvvote.org

Santa Cruz County

(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta County

(530) 225-5730
www.co.shasta.ca.us

Sierra County

(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou County

(530) 842-8084
www.sisqvotes.org

Solano County

(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma County

(707) 565-6800 या (800) 750-VOTE
vote.sonoma-county.org

Stanislaus County

(209) 525-5200 या (209) 525-5201
www.stanvote.com

Sutter County

(530) 822-7122 या (530) 713-3226
www.suttercounty.org/elections

Tehama County

(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity County

(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

Tulare County

(559) 624-7300
<http://www.tularecounty.ca.gov/registrarofovoters/>

Tuolumne County

(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura County

(805) 654-2664
venturavote.org

Yolo County

(530) 666-8133 या (800) 649-9943
www.yoloelections.org

Yuba County

(530) 749-7855
www.yubaelections.org

ऑडियो और बड़े अक्षरों में छपी हुई मतदाता सूचना गाइडें

यह गाइड बिना किसी लागत के अंग्रेजी, चीनी, हिन्दी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पैनिश, टेगालॉग, थाई, तथा वियतनामी में उपलब्ध है।

ऑर्डर करने के लिए:

☎ सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की टॉल-फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें

🌐 www.sos.ca.gov पर जाएं

🌐 www.voterguide.sos.ca.gov/hi/audio से ऑडियो MP3 संस्करण डाउनलोड करें

मतदाता पंजीकरण

यदि आप मतदान करने के लिए पहले से पंजीकरण करवा चुके हैं, तो आपको तब तक दोबारा से पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है **जब तक** आप अपना नाम, घर का पता, डाक पता न बदलें या यदि आप किसी राजनीतिक दल को बदलना या चुनना चाहते हों।

आप RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन मतदान करने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। या आपको डाक द्वारा फॉर्म भेजे जाने के लिए सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुफ्त मतदाता हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर फ़ोन करें।

मतदाता पंजीकरण फॉर्म अधिकतर डाक घरों, लाइब्रेरियों, नगर और काउंटी के सरकारी कार्यालयों, काउंटी के चुनाव कार्यालयों और कैलिफोर्निया के सैक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्यालय से उपलब्ध हैं।

मतदाता पंजीकरण गोपनीयता संबंधी सूचना

घर पर सुरक्षित (Safe at Home) गोपनीय मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम: जीवन को संकट में डालने वाली (अर्थात घरेलू हिंसा, पीड़तों का पीछा करना) स्थितियों का सामना कर रहे कुछ मतदाता गोपनीय मतदाता स्थिति के पात्र हो सकते हैं। अधिक सूचना के लिए सैक्रेटरी ऑफ स्टेट के सेफ एट होम कार्यक्रम के टोल-फ्री नंबर (877) 322-5227 पर फोन करें या <http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home> पर जाएं।

मतदाता जानकारी की गोपनीयता: चुनाव अधिकारियों द्वारा आपके मतदाता पंजीकरण हलफनामे पर मौजूद सूचना का उपयोग आपको चुनाव प्रक्रिया जैसे आपके मतदान स्थल की जगह और मतपत्र में आने वाले मुद्दे और उम्मीदवारों के बारे में आधिकारिक सूचना देने के लिए किया जाएगा। मतदाता पंजीकरण सूचना का व्यावसायिक उपयोग कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है और यह खराब आचरण है। सैक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा तय किए जाने वाले चुनाव, अकादमिक, पत्रकारिता, राजनीतिक या सरकारी उद्देश्यों के लिए मतदाता संबंधी सूचना किसी पद के उम्मीदवार, मतपत्र आकलन समिति या अन्य व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। इन उद्देश्यों के लिए ड्राइवर लाइसेंस व सामाजिक सुरक्षा नंबर (सोशल सिव्योरटी नंबर) या आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दिखाए गए हस्ताक्षरों को जारी नहीं किया जा सकता है। यदि आपके मतदाता संबंधी सूचना के बारे में कोई प्रश्न हैं या आप उक्त सूचना के संदेहास्पद दुरुपयोग की सूचना देना चाहते हैं तो कृपया सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

याद रखने योग्य तारीखें!



मतदान करना याद रखें!

चुनाव वाले दिन मतदान सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुला रहेगा!

मई

र	सो	मं	बु	गु	शु	श
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

9 मई 2016

डाक द्वारा मतदान करने का पहला दिन।

23 मई 2016

मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने का अंतिम दिन।

31 मई 2016

वह अंतिम दिन जिस दिन काउंटी के चुनाव अधिकारी किसी डाक-द्वारा-मतदान करें मतपत्र के लिए किसी मतदाता का आवेदन स्वीकार करेंगे।

जून

र	सो	मं	बु	गु	शु	श
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

7 जून 2016

चुनाव का दिन!